# मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिकारी तथा अन्य सेवक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1996 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन दिनॉक 28 जून, 1996

(हिन्दी एवं अंग्रेजी)

Power to remove difficulties.

38. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Central Government may, by order, publised in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance as may appear to be necessary for removing the difficulty :

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of parliament.

Repeal and saving.

Ord. 10 of 1996.

39. (1) The Telecom Regulatory Authority of India Ordinance, 1996 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance.

SHANKER DAYAL SHARMA,
*President.*

---

K. L. MOHANPURIA,
*Secy. to the Govt. of India.*

---

## THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1996.
(No. 21 of 1996)

[First published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 1, dated the 25th April, 1996.]

Promulgated by the President in the Forty-seventh Year of the Rebublic of India.

An Ordinance further to amend the Representation of the People Act, 1951.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that the circumstances exist which render it nccessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1996.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 60.

43 of 1951.

2. In the Representation of the People Act, 1951, in section 60, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) any person, belonging to a class of persons, notified by the Election Commission in consultation with the Government, to give his vote by postal ballot, at an election in a constituency where a poll is taken subject to the fulfilment of such requirements as may be specified in those rules."

SHANKER DAYAL SHARMA,
*President.*

---

K. L. MOHANPURIA,
*Secy. to the Govt. of India.*

भाग 4 (ग)

## प्रारूप नियम

### चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक २७ मार्च १९९६

क्र.एफ. १६-७-९६-चि.शि.-पच्चन-मेडि-२.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ सन् १९७६) की धारा ५१ की उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के खण्ड (झ) और (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की भरती और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

### नियम

१. (१) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिकारी तथा अन्य सेवक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, १९९६ है.

(२) ये नियम मध्यप्रदेश "राजपत्र" में, उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(२)**परिभाषाएँ** —इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ सन् १९७६);

(दो) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा सक्षम प्राधिकारी जो इन नियमों में निर्दिष्ट शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्ति रखता है;

(तीन) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है परिषद् के कर्मचारी;

(चार) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार;

(पांच) "शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो शासकीय सेवा में कोई सिविल पद धारण करता है या शासकीय सेवा से परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है;

(छह) "अधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची एक में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से बुलाया जाता हो;

(सात) "पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची- चार में विनिर्दिष्ट की गई समिति;

(आठ) "पद" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद;

(नौ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा १९ के अधीन नियुक्त किया गया परिषद् का रजिस्ट्रार;

(दस) "नियमित कर्मचारी" से अभिप्रेत है वह कर्मचारी जो दो वर्ष की नियमित सेवा में रखा गया हो;

(ग्यारह) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(बारह) "चयन समिति" से अभिप्रेत है सेवा में अभ्यर्थियों की सीधी भरती के प्रयोजन के लिए गठित की गई कोई समिति;

(तेरह) "सेवा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम ४ के अधीन गठित मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् सेवा;

(चौदह) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(पन्द्रह) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(सोलह) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(सत्रह) "अस्थायी कर्मचारी" से अभिप्रेत है वह कर्मचारी जिसने दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं की है या जिसे विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है.

३. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, १९६१ में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम परिषद् के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होंगे.

४. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हैं;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए है; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए है.

५. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा

में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, समय-समय पर वृध्दि या कमी कर सकेगी.

६. भर्ती का तरीका.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(एक) चयन व्दारा, सीधी भर्ती व्दारा;

(दो) पदोन्नति व्दारा; या

(तीन) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति व्दारा, जो ऐसी सेवा में ऐसे पद, जो इस निमित्त राज्य सरकार व्दारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूल हैसियत में धारण करते हों.

७. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सिवाय, परिषद् व्दारा की जाएंगी और ऐसी नियुक्ति नियम-६ में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके व्दारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

८. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—चयन किए जाने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(१) आयु.—(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी पहली जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (३) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली है और उक्त अनुसूची-तीन के कालम (४) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की है;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, ३८ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम ७ वर्ष तक की कालावधि को भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते की उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण—पद "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास तक निरंतर रहा है और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या परिषद् की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया है.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी का, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का है और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या परिषद् में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(१) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समयपूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है.

(२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार भर्ती किए गए हैं, और.—

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिए गए हों,

(३) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(४) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हैं.

(५) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है,

(६) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है,

(७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं,

(८) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लगने, घाव हो जाने आदि के कारण चकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है.

(चार) एन. सी. सी. में पूर्णकालिक केडेट अनुदेशक के रूप में दिनांक १-१-१९६३ से और उसके बाद भरती किए गए व्यक्तियों के संबंध में उनकी प्रारंभिक/विस्तारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद उन्हें एन. सी. सी. से निर्मुक्त कर दिया जाने पर समझा जाएगा कि वे नियोजन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के अधीन असैनिक पदों पर छंटनी किए गए सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी वास्तविक आयु में से उनके द्वारा एन. सी. सी. में की गई सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और यदि इसके परिणामस्वरूप निकली आयु किसी विशिष्ट पद के लिए विहित की गई उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती हो, तो वे उस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य समझे जायेंगे बशर्ते वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. ११३४/सी. आर८८-I (तीन) ६६, दिनांक २७-५-१९६६ में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र रखते हों.

(घ) विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा २ वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी (गार्डनर) के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो "विक्रम पुरस्कार" धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/बोर्ड/परिषद् के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम ३८ वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालिन्टरी होमगार्ड) तथा नगर सैनिकों के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा ८ वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु ३८ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पण (१) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं. तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पण (२) किसी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(२) शैक्षणिक अर्हताएं.—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं, परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता है किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं से संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर (स्टैण्डर्ड) से उत्तीर्ण की हैं जो परिषद् की राय में चयन के लिए अभ्यर्थी पर विचार करने के लिए न्यासंगत हों.

(ख) उन अभ्यर्थियों का, जो अन्यथा अर्ह हैं किन्तु उन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, उपाधि ली है, परिषद् के विवेकाधिकार पर चयन में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगा.

(३) **फीस.**—अभ्यर्थी की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

९. **निरर्हता.**—(१) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

(२) ऐसा अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति/पत्नियां हो या ऐसा अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, सेवा में के किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं तो ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस उपनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(३) किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा—

(क) यदि उसे किसी प्राधिकारी, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(ख) यदि उसे ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्वलित हो.

(४) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात् मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न पाया गया हो और ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया गया हो जिससे उसके सेवा या पद के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो.

१०. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**—चयन के लिए किसी भी अभ्यर्थी पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, साक्षात्कार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

११. **चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—(१) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जैसा कि परिषद् समय-समय पर, अवधारित करे;

(२) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनका साक्षात्कार लेकर चयन समिति द्वारा किया जाएगा. समिति में परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट कम से कम तीन सदस्य होंगे;

(३) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को शासकीय सेवाओं में लागू आरक्षण के उपबंध इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे.

१२. **नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(१) चयन समिति सम्यक् रूप से चयन किए गए उन अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि परिषद् अवधारित करे, गुणागुण के क्रम में एक सूची तैयार करेगी.

(२) उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम सूची में आए हों.

(३) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्रदान नहीं करता है जब तक कि परिषद् का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

१३. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(१) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे;

(२) पदोन्नति समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी;

(३) उन पदों पर जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शासकीय सेवाओं में सरकार द्वारा अवधारित किया जाएं, आरक्षण के उपबंध सेवा में पदोन्नति के लिए लागू होंगे.

१४. **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**—समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उक्त अनुसूची के कालम (२) में वर्णित पद पर अनुसूची के कालम (४) में विनिर्दिष्ट की गई कम से कम उतने वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है. उन लिपिकीय पदों पर पदोन्नति, जिनमें लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य है, लेखा में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों में से ही की जाएंगी. ऐसे व्यक्तियों को, जिनको ऐसे पदों के विरुद्ध लेखा प्रशिक्षित हुए बिना पदोन्नति दी गई हो, उन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से २ वर्ष की कालावधि के भीतर लेखा में अर्हता प्राप्त करना होगा.

१५. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.**—(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उप-नियम १४ में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के २५ प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार की जाएगी.

(२) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए चयन के मानदण्ड का आधार निम्नलिखित होगा:—

अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए योग्यता सह-ज्येष्ठता और अन्य व्यक्तियों के लिए ज्येष्ठता-सह-योग्यता;

(३) ऐसी चयन सूची तैयार किए जाने के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची-चार के कालम (२) में विनिर्दिष्ट पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

**स्पष्टीकरण.**—ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है किन्तु जिसे सूची की वैधता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, अपने पूर्वतर चयन के तथ्य मात्र से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया हो, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं रहेगा.

(४) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(५) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के कारण अभिलिखित करेगी.

१६. चयन सूची.—(१) परिषद् समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगी तथा यदि वह उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझती है तो सूची को अनुमोदित करेगी.

(२) यदि परिषद् समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो परिषद्, प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में समिति को सूचित करेगी तथा समिति की टिप्पणियों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगी.

(३) परिषद् द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(४) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम १५ के उप नियम (४) के अनुसार उसे पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार करने की तारीख से १८ मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति पर विभागीय जांच की दशा में या उसकी ओर से आचरण में या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में परिषद् की प्रेरणा पर समिति द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

१७. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(१) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों पर उसी क्रम से की जाएंगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों:

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है या जो चयन सूची में अगले क्रम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि रिक्ति के ३ मास से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है.

(२) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो परिषद् की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

१८. विशेष नियुक्ति की शक्ति.—(१) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष परिषद् के अनुमोदन से सरकार की नीति के अनुसार, परिषद् की सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, परिषद् के मृतक सेवक के आश्रित को नियुक्त कर सकेगा, यदि आश्रित व्यक्ति उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो. परिवार का इस प्रयोजन के लिए वही अर्थ होगा जैसा कि राज्य सरकार के मूल नियमों में दिया गया है.

(२) अध्यक्ष, परिषद् कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले ऐसी संख्या में तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी जैसा की उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए, समय-समय पर ८९ दिनों से अनधिक की कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा.

१९. परिवीक्षा.—(१) सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा—

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्वस्थ्यता का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र;

(ख) कम से कम दो नामों का उल्लेख करे जिनसे कि उसके चरित्र एवं पूर्ववृत के संबंध में संदेह की स्थिति में सम्पर्क किया जा सके. पुलिस विभाग द्वारा उसके पूर्ववृत के संबंध में सत्यापन कराया जायेगा.

(२) नियुक्ति प्राधिकारी कारण लेखबद्ध करते हुए परिवीक्षा की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक समय के लिए बढ़ा सकेगा;

(३) यदि सीधी भरती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परीवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि उसने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा

आशयित स्तरमान को पूरा करने में असफल हो गया है उसकी सेवाएं कोई कारण बताएं बिना समाप्त की जा सकेंगी;

(४) किसी व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षावधि के दौरान समाप्त कर दी गई हों तो वह किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा.

२०. **परिवीक्षाधीन व्यक्ति का स्थायीकरण.**—परिवीक्षा के संतोषजनकतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर स्थायी किया जाएगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है. यदि स्थायीकरण हेतु स्थायी पद उपलब्ध न हो तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा. स्थायी पद उपलब्ध होने पर वह उस पद पर उसके क्रमानुसार स्थायी किया जाएगा.

२१. **पदक्रम सूची.**—सेवा के लिए एक ऐसी संयुक्त पदक्रम सूची रखी जाएगी, जिसमें कि सेवा में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले समस्त कर्मचारियों के नाम वरिष्ठताक्रम में अवस्थित होंगे.

२२. **वरिष्ठता का अवधारण.**—सीधी भरती द्वारा तथा पदोन्नति तथा स्थानापन्न हैसियत से सेवा में नियुक्त या पृथक् वर्ग या उस सेवा संवर्ग के पदों के समूह के कर्मचारियों की वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, १९६१ के नियम १२ में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी.

२३. **परिवीक्षा के दौरान वेतन.**—सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति का परिवीक्षा के दौरान वेतन मूल नियम २२ (ग) के उपबंधों द्वारा शासित होगा.

२४. **वेतनमान.**—(१) वेतन संबंधी समस्त मामले, जब तक कि शासन के पूर्व अनुमोदन से अन्यथा विनिश्चित नहीं किया जाता, परिषद् द्वारा शासन के मूल नियमों में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे;

(२) राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय वेतनमान, समान पद श्रेणी के सेवा सदस्यों को लागू होंगे;

(३) प्रारंभिक वेतन सेवा के किसी सदस्य का प्रारंभिक वेतन शासकीय सेवकों को लागू मूल नियमों में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जाएगा.

२५. **वेतनवृद्धि.**—सामान्यतः किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि मूल नियम २६ के साथ पठित मूल नियम २४ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सामान्य अनुक्रम के अनुसार आहरित की जाएगी.

२६. **भत्ते.**—परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्ते देय होंगे :—

(१) **महंगाई भत्ता.**—शासकीय कर्मचारियों को समय-समय पर देय महंगाई भत्ते परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय होंगे.

(२) **नगर क्षतिपूर्ति भत्ता.**—शासकीय कर्मचारियों को समय-समय पर देय नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय होगा.

(३) **गृह-भाड़ा भत्ता.**—सेवा के सदस्य गृह भाड़ा भत्ता ऐसी दरों से पाने के हकदार होंगे जैसी कि समान पद श्रेणी के शासकीय सेवकों को लागू हों.

२७. **चिकित्सा सहायता.**—सेवा के सदस्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उसी प्रकार हकदार होंगे जिस प्रकार कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, १९५८ के उपबंधों और समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों के अधीन राज्य या राज्य के बाहर उपचार हेतु शासकीय सेवकों के लिए लागू होते हैं.

२८. **ऋण तथा अग्रिम.**—(१) सेवा के सदस्य, निधि की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे :—

(एक) गृह निर्माण अग्रिम जिसमें गृह निर्माण हेतु भूखण्ड क्रय करने के लिए अग्रिम आता है.

(दो) मोटर साइकल/स्कूटर/मोपेड/बाइसिकल के क्रय करने के लिए अग्रिम.

(तीन) चिकित्सीय उपचार के लिए अग्रिम.

(चार) यात्रा अग्रिम.

(२) उपनियम (१) (एक) तथा (दो) में कथित अग्रिमों की स्वीकृति और उनकी वसूली समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश फाइनेंसियल कोड भाग एक के नियम २३१ से २६४ के उपबंधों तथा समय-समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगी.

(३) चिकित्सीय उपचार के लिए अग्रिम की स्वीकृति मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन क्र. जी-३/२/८९/आर-४, दिनांक २६ अक्टूबर १९८९ तथा उसी क्रमांक दिनांक २६ दिसम्बर १९८९ में विहित शर्तों तथा उसमें समय-समय पर संशोधन के अधीन शासित होगी.

(४) उपनियम (१) में कथित ऋण तथा अग्रिम अध्यक्ष द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है या किया जाएगा, मंजूर किए जाएंगे.

२९. **वाहन भत्ता.**— (१) वाहन भत्ता परिषद् के कर्मचारियों को, समय-समय पर यथा संशोधित वित्त विभाग के परिपत्र क्र. १२०४/१८९६/आर-एक/तीन, दिनांक १७ सितम्बर १९८० के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञेय होगा.

(२) उप नियम (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे वाहन भत्ते का हकदार होगा जैसा कि परिषद् द्वारा समय-समय पर मुख्य कार्यपालक को कार रखने के लिए प्रदान किया जाए.

(३) नीचे विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पक्ष में वाहन भत्ता आहरित होगा:—

**वाहन भत्ते के लिए प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित करता हूं कि मेरा पेट्रोल/डीजल चलित यान क्रमांक . . . . . कार/स्कूटर/मोटर सायकल उपयोग किए जाने योग्य अवस्था में है और अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग (मैंने) माह . . . . . वर्ष . . . . . के दौरान किया है.

दिनांक . . . . . .
हस्ताक्षर . . . . . .
पदनाम सहित. . . . . .

३०. **अवकाश.**—(१) अवकाश के संबंध में सेवा का सदस्य, उपनियम (२) के अध्यधीन शासकीय सेवकों को यथा लागू मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (अवकाश) नियम, १९७७ द्वारा शासित होगा.

(२) सेवा के सदस्य को आकस्मिक अवकाश या कोई अन्य अवकाश मंजूर करने की शक्ति रजिस्ट्रार में और रजिस्ट्रार की स्थिति में परिषद् के अध्यक्ष में निहित होगी.

३१. **अवकाश नकदीकरण.**—सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण को सम्मलित करते हुए अवकाश नकदीकरण हेतु जारी आदेशों से शासित होंगे.

३२. **अवकाश यात्रा रियायत.**—सेवा के अधिकारी तथा कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष ग्रेड के सदृश्य उपलब्ध अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे.

३३. **उपदान.**—उपदान अधिनियम, १९७२ के उपबंध परिषद् के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लागू होंगे.

३४. **अनुग्रह-राशि का भुगतान.**—अनुग्रह-राशि का भुगतान शासकीय सेवकों को लागू रीति में ऐसी दरों से किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किया जाए.

३५. **समूह बीमा योजना.**—शासकीय कर्मचारियों को लागू समूह बीमा योजना परिषद् सेवा को परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विकल्प पर लागू होगी.

३६. **यात्रा भत्ता, आवास भत्ता आदि.**—(१) राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू यात्रा भत्ता, सेवा के सदस्यों को भी लागू होगा. तथापि ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि यात्रा राज्य में या राज्य के बाहर की जाए वहां परिषद यात्रा, निवास (लाजिंग तथा बोर्डिंग) तथा भोजन संबंधी व्यय ऐसी दरों पर मंजूर कर सकेगी, जो परिषद् के अधिकारी या कर्मचारी व्दारा उपगत किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए समुचित हो, बशर्ते कि उसके व्दारा उपगत किए गए व्ययों की मूल रसीदें इस निमित्त उसके दावे के साथ प्रस्तुत की जाए.

(२) परिषद् के अधिकारियों को, उनके स्वयं की कार से यात्रा करने पर शासकीय अधिकारियों को लागू दर से यात्रा भत्ता (रोड माइलेज) संदत्त किया जाएगा.

३७. **अंशदायी भविष्य निधि.**—सेवा में पहले से ही सदस्य अथवा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त सदस्य परिषद् में प्रचलित सिध्दांतों के अधीन परिषद् की अंशदायी भविष्य निधि में यथा स्थिति, निरंतर अंशदान करेंगे या अंशदान करते रहेंगे तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों से जैसी परिषद् सेवा के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, विनियमित किए जाएंगे.

३८. **सेवा अभिलेख.**—(१) सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा पुस्तिका रखी जाऐगी. सेवा पुस्तिका का अनुरक्षण उसी रीति में तथा उसी प्ररूप में किया जायेगा जैसा कि शासकीय सेवकों के लिए विहित किया गया है. सेवा पुस्तिका रजिस्ट्रार व्दारा बनाए रखी जायेगी.

(२) <u>निजी नस्तियाँ</u>.—(क) सेवा के प्रत्येक सदस्य की निजी नस्ती परिषद् के कार्यालय व्दारा अनुरक्षित की जायेगी और रखी जायेगी.

(ख) अनुरक्षित निजी नस्ती में नियुक्ति, पदोन्नति, दण्ड,निलंबन के मूल आदेश और ऐसी सेवा के सदस्य से संबंधित अन्य विशिष्टयां जिनसे उसके कार्य, चरित्र, आचरण आदि पर प्रकाश पड़ सकता है अंतर्विष्ट की जायेगी.

(३) <u>गोपनीय रिपोर्ट</u>.—(क) सेवा के समस्त सदस्यों की गोपनीय रिपोर्ट संलग्न प्ररूप एक, दो, तीन या चार में रखी जायेगी;

(ख) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट माह अप्रैल में विगत वित्तीय वर्ष के लिए लिखी जायगी. रिपोर्ट के प्रारंभ करने, पुनर्विलोकन तथा प्रतिवेदन को ग्राह्य करने की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसी शासकीय कर्मचारी के संबंध में लागू है.

(४) रजिस्ट्रार सेवा के संबंधित सदस्य को उसकी गोपनीय रिपोर्ट में उल्लिखित प्रतिकूल टिप्पणी ग्राह्य किये जाने से सामान्यतः ९० दिन के भीतर संसूचित करेगा. कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी की संसूचना प्राप्त होने से पैतालीस दिन के भीतर सेवा का सदस्य अध्यक्ष को एक अभ्यावेदन, अपनी गोपनीय रिपोर्ट में से प्रतिकूल, टिप्पणी निकालने हेतु प्रस्तुत कर सकेगा. अध्यक्ष का विनिश्चय सामान्यः अंतिम होगा और सामान्यः अभ्यावेदन प्राप्ति के ६ माह के भीतर संसूचित कर दिया जायेगा :

परन्तु इस नियम के अंतर्गत न आने वाले अनुदेश को सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग एक / ७ व्दारा अनुसरित किया जायेगा.

३९. आचरण.—सेवा का सदस्य, निम्नलिखित उपबंधो के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ द्वारा शासित होगा:

(१) सेवा के सदस्यों द्वारा परिषद की प्रतिकूल आलोचना करना प्रतिषिद्ध है.

(२) नियम १९ के प्रयोजनों के लिए दान स्वीकार करने के अनुमोदन हेतु और उक्त नियमों के नियम १९ के अधीन जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या व्ययन हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए अनुसार होंगे :—

(क) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के मामले में—मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

(ख) प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में—अध्यक्ष

४०. सेवा आचरण अनुशासनिक नियंत्रण तथा अपील.—(१) इन सेवाओं से संबंधित मामलों में दण्ड निलंबन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, १९६६ के द्वारा शासित होगी.

(२) अनुशासनिक प्राधिकारी.—इन नियमों के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ के अध्यधीन रहते हुए शास्तियां अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी नीचे दिये अनुसार होंगे :—

| | | |
|---|---|---|
| (क) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में | लघु शास्तियां | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| (ख) —तदैव— | दीर्घ शास्तियां | परिषद् |
| (ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में. | लघु/दीर्घ | परिषद् |

(३) अपील.—कर्मचारियों को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा ४८ के उपबंधों के अनुसार पारित आदेश के विरुध्द अपील करने का अधिकार होगा.

४१. नियम, आदेश और अनुदेशों आदि का लागू होना.—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सेवा संबंधी मामलों में मध्यप्रदेश मूल नियम, वित्त संहिता और सामान्य पुस्तक परिपत्र के उपबंध सेवा के सदस्यों को उसी रूप में लागू होंगे जैसे कि समय-समय पर संशोधित किए जाएं.

४२. त्याग-पत्र और सेवा समाप्ति.—सेवा में अस्थायी आधार पर नियुक्त सदस्य किसी भी एक पक्ष से एक माह की सूचना या उसके बजाय भत्ते सहित एक माह का वेतन भुगतान करके सेवा से त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञात होगा या उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी. सेवा का स्थायी सदस्य तीन माह की सूचना देकर या उसके बजाय तीन माह का भत्ते सहित वेतन देकर या सूचना में कम पड़ने वाली कालावधि के लिए रकम का भुगतान करके सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा.

४३. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—नियम ७ के अधीन नियुक्ति की शक्तियों के सिवाय परिषद या अध्यक्ष ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा.

४४. निर्वचन.—यदि इन नियमों के, निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो, उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

४५. शिथिलीकरण.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे कि ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की परिषद् की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा जो उसके लिए इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा कम अनुकूल हो.

४६. निरसन तथा व्यावृत्तियां.—इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम, तथा कार्यपालक अनुदेश एतद्द्वारा निरस्त किए जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों या कार्यपालन अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है

## अनुसूची—एक

(नियम ५ देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

| अनु. क्र. (१) | सेवा में सम्मिलित पदों का नाम (२) | पदों की संख्या (३) | वर्गीकरण (४) | वेतनमान (५) |
|---|---|---|---|---|
| १ | रजिस्ट्रार | १ | प्रथम श्रेणी | ३०००—१००—३५००—१२५—४५०० तथा पांच वर्ष के पश्चात् ३७००—१२५—४७००—१५०—५०००. |
| २ | सहायक रजिस्ट्रार. | १ | द्वितीय श्रेणी | २०००—६०—२३००—७५—३२००—१००—३५००. |
| ३ | अधीक्षक | १ | तृतीय श्रेणी | १६००—५०—२३००—६०—२७००. |
| ४ | सहायक | २ | तृतीय श्रेणी | १४००—४०—१४४०—५०—२३००. |
| ५ | लेखापाल | १ | तृतीय श्रेणी | १२००—३०—१५६०—४०—२०४०. |
| ६ | उ. श्रे. लि. | २ | तृतीय श्रेणी | ११५०—३०—१२१०—४०—१४५०—५०—१८००. |
| ७ | स्टेनो टायपिस्ट | १ | तृतीय श्रेणी | ९५०—२५—१०००—३०—१२१०—४०—१५३० + रु.७५ विशेष वेतन प्रतिमाह. |
| ८ | नि. श्रे. लि. | २ | तृतीय श्रेणी | ९५०—२५—१०००—३०—१२१०—४०—१५३०. |
| ९ | ड्रायवर | १ | तृतीय श्रेणी | ९५०—२५—१०००—३०—१२१०—४०—१५३० |
| १० | दफ्तरी | १ | चतुर्थ श्रेणी | ७७५—१२—८७१—१५—१०३६ रु. १०/- प्रतिमाह विशेष वेतन. |
| ११ | भृत्य | ४ | चतुर्थ श्रेणी | ७५०—१२—८७०—१५—९४५. |
| १२ | चौकीदार | १ | चतुर्थ श्रेणी | ७५०—१२—८७०—१५—९४५. |

## अनुसूची—दो

(नियम ६ देखिए)

| अनु क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों का नाम | कर्त्तव्य पदों की संख्या | भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती | पदोन्नति | स्थानान्तर |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | **प्रथम श्रेणी रजिस्ट्रार** | १ | १०० % | — | |
| २ | **द्वितीय श्रेणी सहायक रजिस्ट्रार** | १ | — | १०० % | |

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| ३ | तृतीय श्रेणी | | | | |
| | १. अधीक्षक | १ | — | १०० % | |
| | २. सहायक | २ | — | १०० % | |
| | ३. लेखापाल | १ | — | १०० % | |
| | ४. उच्च श्रेणी लिपिक | २ | — | १०० % | |
| | ५. स्टेनो टायपिस्ट | १ | १०० % | | |
| | ६. निम्न श्रेणी लिपिक | २ | १०० % | | |
| | ७. ड्रायवर | १ | १०० % | | |
| ४ | चतुर्थ श्रेणी | | | | |
| | १. दफ्तरी | १ | — | १०० % | |
| | २. भृत्य | ४ | १०० % | — | |
| | ३. चौकीदार | १ | १०० % | | |

## अनुसूची—तीन

(नियम ८ देखिये)

| अनु. क्र. (१) | सेवा में सम्मिलित पद का नाम (२) | न्यूनतम आयु (३) | उच्चतर आयु (४) | शैक्षणिक अर्हताएं (५) |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | | | | |
| १ | रजिस्ट्रार | २५ | ३५ | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एल. एल. बी. सहित तथा ५ वर्षों का प्रशासकीय अनुभव. |
| तृतीय श्रेणी | | | | |
| २ | स्टेनो टायपिस्ट | १८ | ३० | १. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (१० + २) या शासन से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण.<br>२. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से या कोई अन्य शासकीय मान्यता प्राप्त परीक्षा शीघ्रलेखन में ६० शब्द प्र. मि. की गति से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. |
| ३ | निम्न श्रेणी लिपिक | १८ | ३० | १. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (१० + २) परीक्षा उत्तीर्ण.<br>२. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण. |
| ४ | ड्रायवर/भृत्य/चौकीदार | १८ | ३५ | मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण इसके अतिरिक्त ड्रायवर के पद के लिए लाइट मोटर व्हीकल ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है. |

## अनुसूची—चार
(नियम १४ देखिये)

| अनु. क्र. (१) | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी (२) | पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी (३) | वांछित अनुभव (४) | पदोन्नति समिति का संविधान (५) |
|---|---|---|---|---|
| १. | अधीक्षक | सहायक रजिस्ट्रार | ५ वर्ष | १. संयुक्त संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी—अध्यक्ष.<br>२. संयुक्त संचालक/उप संचालक होम्योपैथी—सदस्य.<br>३. रजिस्ट्रार—सदस्य. |
| २. | सहायक | अधीक्षक | ५ वर्ष | —"— |
| ३. | उच्च श्रेणी लिपिक/ लेखापाल | सहायक | ५ वर्ष | —"— |
| ४. | निम्न श्रेणी लिपिक | उ.श्रे.लि. लेखापाल. | ५ वर्ष | —"— |

### प्रपत्र—एक

निम्न श्रेणी लिपिक के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने का प्रपत्र(.....को समाप्त होने वाली छः माही/होने वाले वर्ष के लिये)

१. नाम .....

२. धारित पद (मूल/स्थानापन्न/अस्थायी) .....

३. वेतन .....

४. कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण .....

५. व्यक्तित्व और व्यवहार .....

६. आचरण और चरित्र .....

७. सहयोगियों/अधिकारियों से संबंध .....

८. उपस्थिति में नियमितता एवं समय की पाबंदी .....

९. टायपिंग में प्रवीणता (गति एवं शुध्दता दोनों में) .....

१०. संनिष्ठा .....

११. कार्य से संबंधित पंजियों/अभिलेखों का रख-रखाव .....

१२. कर्मचारी व्दारा यदि कोई असाधारण या/ उल्लेखनीय कार्य किया गया हो तो वह संक्षेप में बतायें. .....

१३. पदोन्नति की उपयुक्तता .....

१४. कार्य के बारे में अभिमत व्यक्त करने वाली सामान्य टिप्पणी .....

१५. श्रेणीकरण (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण अच्छा/घटिया) (उत्कृष्ट श्रेणी में तभी वर्गीकरण किया जाय जब कि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर देखा गया हो. ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधार भी स्पष्ट रूप से बताया जावे. .....

स्थान :

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रतिवेदक अधिकारी का नाम .....

पदनाम .....

समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

टिप्पणी/आवश्यक निर्देश :

निम्न श्रेणी लिपिक को यदि डीलिंग का कार्य या कोई अन्य विशेष कार्य सौंपा गया हो तो उपरोक्त शपथ की कंडिका १२ एवं १४ में इस संबंध में योग्यता/उपलब्धि के बारे में टीप अंकित की जायें.

## प्रपत्र—दो

तृतीय श्रेणी सहायकों/उच्च श्रेणी लिपिक एवं अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने का प्रपत्र
(.....को समाप्त होने वाली छः माही/होने वाले वर्ष के लिये)

१. नाम .....

२. धारित पद (मूल/स्थानापन्न/अस्थायी) .....

३. वेतन .....

४ कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण .....

५.व्यक्तित्व एवं व्यवहार .....

६. आचरण/चरित्र .....

७. प्रारूप और टीप लिखने की योग्यता .....

८. कार्यालय प्रक्रिया और नियमों का ज्ञान तथा उनको प्रयोग करने की योग्यता .....

९. प्रकरण के परीक्षण की क्षमता .....

१०. कार्य के निपटारे की तत्परता .....

११. उपस्थिति में नियमितता और समय की पाबंदी .....

१२. उच्च अधिकारियों एवं सहयोगियों से संबंध .....

१३. दैनिक कार्य जैसे असिस्टेंट की डायरी का रख-रखाव, गार्ड फाइलें, रिकार्डिंग आदि का ध्यान रखा जाना .....

१४. संनिष्ठा .....

१५. कर्मचारी द्वारा यदि कोई असाधारण कार्य किया गया हो तो वह संक्षेप में बतायें. .....

१६. कार्य पर सामान्य टिप्पणी .....

१७. श्रेणीकरण (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण अच्छा/घटिया) (उत्कृष्ट श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जावे जब कि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर देखा गया हो, ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधार भी स्पष्ट रूप से बताया जावे.

स्थान .....

दिनांक .....

प्रतिवेदन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

टिप्पणी/आवश्यक निर्देश : लिपिक के विशेष कार्य/उपलब्धि का उल्लेख सामान्य टीप में किया जावे.

प्रपत्र—तीन

प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन

वर्ष.....को समाप्त होने वाली अवधि

भाग—एक :

१. अधिकारी का नाम .....

२. पद नाम .....

३. पद स्थापना जिला .....

भाग—दो :

(प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

१. कार्य का संक्षिप्त विवरण

२. कृपया आपके लिये निर्धारित गुणात्मक/भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता क्रम में और प्रत्येक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का उल्लेख करें :—

| लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|
| | |

३. (अ) कृपया कालम २ के संदर्भ में लक्ष्यों/उद्देश्यों की पूर्ति में कमी का संक्षिप्त विवरण दें यदि लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई (बाधा) आई हो तो उसको भी बतावें.—

(ब) कृपया उन मदों को भी दर्शाए जिनमें अति महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आपका सहयोग रहा हो.—

(स) मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, १९६५ के नियम १९ के अधीन अचल सम्पत्ति का वार्षिक प्रपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक :—

अधिकारी के हस्ताक्षर व तिथि

भाग—तीन :

(प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

(अ) कार्य का स्वरूप एवं प्रकार :

(१) कृपया अधिकारी द्वारा भरे गये भाग दो पर विशेष रूप से साक्ष्यों और उद्देश्यों, उपलब्धियों, कमियों से संबंधित उत्तरों से सहमति संबंधी टीप दें, यदि किसी उद्देश्य की पूर्ति में कोई बाधा है तो उसका भी उल्लेख करें.—

(२) किये गये कार्य का गुणवत्ता : कृपया अधिकारी द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता, स्तर और कार्यक्रम का उद्देश्य और बाधाएं यदि कोई हो, के संबंध में टीप दें.—

(३) कार्य क्षेत्र का ज्ञान : कृपया विशिष्ट रूप से इनमें से प्रत्येक पर टीप दें—कार्यों के ज्ञान का स्तर, संबंधित अनुदेश और उनका लागू किया जाना.—

(ब) विशेषता :

(१) कार्य के प्रति दृष्टिकोण : अधिकारी द्वारा किस हद तक कार्य समर्पण, प्रेरणा, उसकी इच्छा और पहल कर व्यवस्थित रूप से किया गया, पर टीप दें.—

(२) निर्णय लेने की योग्यता : निर्णय लेने के गुण, पक्ष विपक्ष को देखते हुए वैकल्पिक योग्यता पर टीप दें.—

(३) पहल : अधिकारी को अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने की क्षमता और उपाय और कार्य के नवीन क्षेत्रों में स्वेच्छा से अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेने के संबंध में टीप दें.—

(४) प्रोत्साहन और प्रेरणा की योग्यता : कृपया अधिकारी की प्रेरणा देने, स्वयं के आचरण और विश्वास से सहयोग प्राप्त करने की क्षमता पर टीप दें.—

(५) संसूचना कौशल (लिखित और मौखिक) : अधिकारी की संसूचना एवं तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के संबंध में टीप दें.—

(६) व्यक्तिगत संबंध एवं समूह कार्य (टीम वर्क) : उच्च अधिकारियों, सहयोगियों एवं अधीनस्थों से संबद्ध, दूसरों के विचारों की सराहना एवं सद्भावना से ली गई सलाह की योग्यता का उल्लेख करें. कृपया टीम के सदस्य के रूप में कार्यक्षमता और टीम भावना को बढ़ाने और टीम द्वारा किये गये कार्यों की उत्तमता पर भी टीप दें.—

(७) आम जनता के साथ संबंध : अधिकारी को आम जनता तक पहुंच और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता.

(स) **अतिरिक्त गुण (विशेषताएं)** :

(१) योजना बनाने की योग्यता : क्या अधिकारी में समस्याओं, कार्यों की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाकर तदनुसार योजना बनाने और संभावित हल उपलब्ध कराने की योग्यता है.

(२) निरीक्षण की योग्यता :

१. कार्य का समुचित बटवारा,
२. कार्य करवाने के लिये उचित कर्मियों का चुनाव,
३. कार्य करने में मार्गदर्शन और,
४. कार्य की समीक्षा.

भाग—चार

सामान्य

१.निष्ठा :

२. श्रेणी : (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/ औसत/औसत से कम) (उत्कृष्ट श्रेणीकरण तब तक न किया जाये जब तक कि अपवादात्मक गुण और कार्य संपादन न देखा गया हो, ऐसी श्रेणी का आधार भी स्पष्ट बताया जाना चाहिए)

स्थान . . . . . हस्ताक्षर . . . . . .

दिनांक . . . . . नाम . . . . . .

पदनाम . . . . . .

(प्रतिवेदन अवधि में)

प्रपत्र--चार

## चतुर्थ श्रेणी के परिषद कर्मचारियों के संबंध में प्रति वर्ष माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिखी जाने वाली चरित्र पंजी का फार्म.

१. कर्मचारी का नाम, पिता अथवा पति का नाम, निवास स्थान और शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई हो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

२. पद स्थायी/अस्थायी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

३. नियुक्ति की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

४. कार्य का स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

५. अवधि जिसके लिये मत अंकित किया जा रहा है . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

६. आचरण, व्यवहार तथा आज्ञाकारिता . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

७. समय की पाबन्दी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

८. शारीरिक क्षमता . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

९. सौंपे गये कार्य को करने की समझ और योग्यता . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

१०. स्थानान्तर, दण्ड आदि के संबंध में सामान्य मत . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

दिनांक. . . . . . . . . . . . . १९९. .

मत अंकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एस. निरंजन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २७ मार्च १९९६.

क्र. एफ.१६-७-९६-चि.शि.-५५-मेडि-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.-१६-७-९६-चि.शि.-५५-मेडि-२ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. निरंजन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 1996

No.F.16-7-96-Med-Ed.55-Med-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (i) and (j) of sub-section (2) of Section 51 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government hereby makes the following rules, relating to Recruitment and other Conditions of Service of the Officers and Servants of the Madhya Pradesh Homeopathy Parishad, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Officers and other Servants (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 1996.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazzette".

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(i) "Act" means the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976);

(ii) "Disciplinary Authority" means a competent authority who has powers to impose penalties referred to in these rules;

(iii) "Employees" means the employees of the Council;

(iv) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;.

(v) "Government Servant"means an employee holding a civil post in the Government Service or is appointed on deputation from Government Service in the parishad.

(vi) "Officer" means a person classified as Class I and II in Schedule-I by whatever name called;

(vii) "Promotion Committee" means a committee as specified in Schedule-IV;

(viii) "Post" means a post specified in Schedule-I;

(ix) "Registrar" means the Registrar of the Council appointed uender section 19;

(x) "Regular employee" means an employee who has put in two years regular service;

(xi) "Section" means the section of the Act.

(xii) "Selection Committee" means a committee constituted for the purpose of direct recruitment of candidates in the service.

(xiii) "Service" means Madhya Pradesh Homoeopathic Council Service constituted under rule 4 of these rules.

(xiv) "Schedule" means schedule appended to these rules;

(xv) "Scheduled Castes" means any caste, race of tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(xvi) "Schedule Tribes" means, any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Schedule Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(xvii) "Temporary Employees" means an employee who has not completed two years regular service or who has been appointed temporarily for a specified period.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (Ganeral Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to all officers and amployees of the Council.

4. **Constitution of service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(i) persons who at the commencement of these rules are holding the posts specified in Schedule-I either substantively or in officiating capacity;

(ii) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(iii) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I :

Provided that Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**— Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(i) by direct recruitment by selection;

(ii) by promotion; or

(iii) by transfer or deputation of person or persons who hold in substantive capacity such post in such service, as may be specified by the State Government in this behalf.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the service except the appointment of the Registrar after the commencement of these rules shall be made by the Council and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8.**Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be aligible to be selected, a candidate must fulfil the following conditions, namely :—

I. Age : (a) He must have attained the age as spacified in column (3) of Schedule-III and have not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the 1st day of January next following the date of commencement of selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belongs to the Scheduled Caste or Scheduled tribe;

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of a candidates who are or have been employees of the Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charge employees and employees working in the project implementation committees.

(ii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation— The term "retrenched Government Servant", denotes a person, who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Council service.

(iii) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation—The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 month and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in council service :—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on"— (a) completion of short tern engagement . (b) fulfilling the conditions of the enrolment;

(3) Ex-personal of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officer);

(5) Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalided out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldier;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

(iv) persons recruited from 1-1-1963 on words as whole time cadet instructors in the N.C.C. shall on release from the N.C.C. on the expiry of their initial/extanded tenure be regarded as retrenched Government employees for purpose of employment in civil posts under the State Government and may be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the prescribed upper age limit of a particular post by more than 3 years,

they will be deemed to be satisfying the conditions for appointment to that post in respect of the maximum age provided they possess necassary certificate as per instructions contained in G. A. D. Memo No.1134-CR-88-I (iii) (66), dated 27-5-1966,—

(d) The General upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow, destitute or divorced woman candidates;.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the tribal, scheduled caste and backward classes Welfare Department;

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards/Council;

(i) the upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

**Note**— (1) candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

**Note** — (2) In no other case will these age limits be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

II. Educational Qualifications.—The candidate must Possess the Educational Qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that,—

(a) In exceptional cases the selection committee may on the recommandation of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other Institutions by such a standard, which in the opinon of the Council, justifies the consideration of the candidate for selection, and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities, being University not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the selection at the discretion of the Council.

III. Fees.—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualifications.**—(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointuing Authority to disqualify him for selection.

(2) No candidate who has more then one spouse living or who has married a person having already a spouse living, shall be eligible for appointment to any post in the service;

Provided that the appointing authority may, if satisfy that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this sub-rule.

(3) No candidate shall be appointed to any post in the service.—

(a) If he has been dismissed from the service of any authority, Government or Local authority for misconduct.

(b) If he has been convicted of an offence which involves moral turpitude.

(4) No candidate shall be appointed to any post in the service unless he has been found, after medical examination, to be mentally and bodily fit and free from any mental or bodily defact likely to interfere with the discharge of his duties in the service or post.

10. **Appointing authorities decision about eligibility of candidate shall be final.**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of the admission has not been issued by him shall be admitted to the interview.

11. **Direct recruitment by selection.**—(1) Selection for recruitment to the service shall be made at such interval as the council may from time to time determine.

(2) The selection of the candidates for the posts included in the service shall be made by interviewing them by the Selection Committee. There shall be atleast three members in the Committee nominated by the council.

(3) The provisions of reservation applicable to Government Services for the Scheduled caste; Scheduled Tribes and other Backward classes, shall be applicable to the service.

12. **List of candidates selected for appointment.**—(1) The Selection committee shall

prepare a list of duly selected candidates in order of merit who have qualified by such standard as the council may determine.

(2) The candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Council is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.**—(1) There shall be constituted a Committee consisting of members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The promotion committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The provisions of reservation of post as determined by the Government for Government Services, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, shall be application to the service for promotion.

14. Conditions of Eligibility for Promotion.—The Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of the year have completed not less than such number of years of continuous service as specified in column (4) of Schedule-IV in the post mentioned in column (2) of the said Schedule. The Promotions to the clerical posts in which accounts training is compulsory will be made only from the persons qualified in accounts. Persons who were promoted without qualifying in accounts against such posts will have to qualify in accounts within a period of 2 years from the date of commencement of these rules.

15. **Preparation of list of suitable persons.**—(1) The Committee shall prepare a list of such persons satisfying the conditions prescibed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five per cent. of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on the following criteria —

For promotion to the posts of Superintendent and Assistant Superintendent merit-cum-seniority and for others seniority-cum-merit.

(3) The names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the post as specified in column (2) of Schedule-IV, at the time of preparation of such select list.

**Explanation.**—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select List.**—(1) The Council shall consider the list prepared by the Committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Council considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, the Council shall inform the committee of the changes proposed and, after taking into account the comments, if any of the committee the Council may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Council shall form the select list for promotion of the members of the service.

(4) The select list shall ordinarily be inforce until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 15 but its validity shall not be extended beyond total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that, in the event of Departmental Enquiry or in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Council and the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.**—(1) Appointments of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list :

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list, or who is not next in order in select list, may be appointed to the service if the council is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than 3 months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person

whose name is included in the select list to the service unless during the period interviewing between the incluion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occures any deterioration in his work which, in the opinion of the Council is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Special Power of Appointment.**—(1) Notwithstanding anything contained in these rules the President, with the approval of the Council may appoint a dependent of a deceased servant of the Council in accoudance with the policy of the Government in case the death of the official takes place during the service of the council provided the dependent person possess the minimum qualification prescribed for the post. The family for this purpose shall have the meaning as has been assigned to it in Fundamental Rules of the State Government.

(2) For the smooth working of the office of the Council, the President may appoint such number of class-III and class -IV contingency paid employee as may be deemed necessary by him for a period of not more than 89 days from time to time.

19. **Probation.**—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years subject to submission of—

(a) Medical Certificate of fitness signed by the Chief Medical Officer/District Health Officer.

(b) Name of atleast two reference to whom a reference may be made in case of any doubt regarding his character and antecedents. Verification of the antecedents shall be made by the police.

(2) The Appointing Authority may for the reason to be recorded in writing extend the period of probation not exceeding one year in the aggregate.

(3) If at any time during the period of probation a direct appointees is found to have not made sufficient use of his opportunity or that he has failed to satisfy the standard expected of, his services may be terminated without assigning any reason.

(4) A person whose services are dispensed with during the probation period will not be entitled to any compensation.

20. **Confirmation of Probationer.**—On the successful completion of probation, the probationer shall be confirmed in the service or post to which he has been appointed. However, if permanent post is not available for confirmation, the probationer shall be appointed temporarily until further orders.On availability of a parmanent post he shall be confirmed on that post on his turn.

21. **Gradation List.**—A combined gradation list shall be maintained for the service which shall be arranged in order of seniority of all employees holding the posts included in the service.

22. **Determination of Seniority.**—Seniority of the employees of the service or distinct cadre or group of posts in the cadre of the service appointed by direct recruitment and by promotion, and in an officiating capacity shall be determined in accordance with the principles laid down in Rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Srvices (General Conditions of Service) Rules, 1961.

23. **Pay during Probation.**—The pay during probation of a person directly recruited shall be governed by the provisions of Fundamantal Rule 22(c).

24. **Pay scale.**—(1) Unless otherwise decided with prior approval of the Government, all matters of salary shall be decided by the Council according to the principles laid down in fundamental rules of the Government.

(2) The pay scales admissible to the officer and servants of the State Government shall be applicable to the equal grade of members of the service from time to time.

(3) **Initial pay.**—The initial pay of a member of the service shall be determined in accordance with the principles laid down in the Fundamental Rules applicable to Government Servants.

25. **Increment.**—An increment of an employee shall ordinarily be drawn as a matter of course subject to the provisions of Fundamental Rule 24 read with Fundamental Rule 26.

26. **Allowances.**—The following allowances shall be payable to the officers and servants of the Council :—

(1) Dearness Allowances.—The dearness allowances payable to the Government employees from time to time,shall be payable to the officers and servants of the Council.

(2) City Compensatory Allowances.—The city compansatory allowance payable to the Government employees from time to time shall be payable to the officers and services of the Council.

(3) House Rent Allowance .—The members of the service shall be entitled to House Rent Allowance at such rates as are applicable to Government Servants of the similar grades.

27. **Medical Assistance.**—The members of the service shall be entitled to the reimbursement of medical expenses within the State or outside the State for treatment as per provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Medical

attendances) Rules, 1958 as amended from time to time in the same manner as they apply to Government Servants.

28. **Loans and Advances.**—(1) The members of the service shall subject to availability of funds be entitled to—

(i) House Building advance including advance for purchase of plot for construction of house;
(ii) Advance for purchase of Motor Car/Motor Cycle/Scooter/Moped/Bicycle;
(iii) Advance for Medical Treatment;
(iv) Tour Advance.

(2) the grant of Advance stated in sub-rule (1) (i) and (ii) and recovery thereof shall be subject to the provisions of Rules 231 to 264 of Madhya Pradesh Financial Code Volume 1 as amended from time to time and the orders issued by the Government from time to time.

(3) the grant of advance for Medical Treatment shall be governed by the conditions prescribed in Memo No. G/3/2/89-R-4/IV, dated 26-10-89 and of even number dated 26-12-89 issued by Finance Department of Government of Madhya Pradesh followed by any amendment made therein.

(4) The Loans and Advances stated in sub-rule (1) shall be sanctioned by the President or by an officer to whom powers have been or shall be delegated by the President in this behalf.

(29) Conveyance Allowance.—(1) The conveyance allowance shall be admissible to the employees of the Council in terms of Finence Department's Circular No. 1204/1896/R-I/III, dated 17-9-80 as amended from time to time.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1), the Chief Executive Officer shall be entitled to such conveyance allowance as may be determined by the Council from time to time provided the Chief Executive Officer possesses a Car.

(3) The Conveyanct Allowance in favour of Chief Executive Officer shall be drawn on production of a certificate, prescribed below :—

CERTIFICATE FOR CONVEYANCE ALLOWANCE

Certified that I maintain petrol/diesel run vehicle No. . . . . ..Car/Scooter/Motor Cycle . . . . . in running order and used it, during the month of . . . .. . . . . . .for performance of my official duties.
dated . . . .. . . .

Signature with
Designation.

30. **Leave.**—(1) In respect of leave, the member of the service shall, subject to sub-rule (2) be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (leave) Rules, 1977 as they apply to the Government Servants.

(2) The power to grant Casual Leaves or any other leave to the member of service shall vest in the Registrar and in case of the Registrar with the President of the Council.

31. **Encashment of Leave.**—The members of the service shall be governed by the ouders issued by the State Government for encashment of leave including encashment of leave at the time of retirement.

32. **Leave Travel Concession.**—The Officers and Servants of the service shall be entitled to leave travel concession analogous to that available to the similar grades of the employees of the State Government.

33. **Gratuity.**—The provisions of Gratuity Act, 1972 shall be applicable to all the officers and servants of the Council.

34. **Ex-Gratia Payment.**—The Ex-gratia payment shall be made at such rates as may be sanctioned by the State Government from time to time in the manner applicable to the Government Servant's case.

35. Group Insurance Scheme.—The Group Insurance Scheme applicable to the Government Servants shall be applicable to the Council service at the option of the officers and servants of the Council.

36. Travelling Allowance, Accommodation Allowance etc.—(1) the travelling allowance applicable from time to time to the State Government Employees shall be applicable to the members of the service. However in cases, where circumstances require for administrative exigencies, for journeys within the State or out side the State, the Council may sanction travel ling, lodging and boarding expenses at such rates which may reasonable compensate the expenses incurred by the officer or servant of the Council provided the original receipts of the expenses incurred by him are produced alongwith his claim in this behalf.

(2) The officers of the Council shall be paid road milege at the rate applicable to Government officers if journey is performed by him in own car.

37. **Contributory Provident Fund.**—The members already in service or the members appointed in accordance with the provisions of these rules shall continue to subscribe or subscribe as the case may be to the Council's Contributory Provident Fund as per practice in vogue in the Council and shall be regulated with such terms and conditions as the Council, in the best interest of the service, may deem fit.

38. **Service Record.**—(1) Service book shall be kept for every member of the service. The Service Book shall be maintained in the same form and manner as prescribed for Government servants. The Service

Book shall be maintained by the Registrar.

(2) **Personal Files.**—(a) Personal files of every member of the service shall be maintained and shall be kept in the office of the Council.

(b) The personal files maintained shall contain original orders of appointment, promotion, punishment, suspension and such other particulars pertaining to the member of the service which may throw light on his working, character, conduct etc.

(3) **Confidential Reports.**—(a) Confidential Report shall be maintained for all members of the service in the appended forms I, II, III, or IV.

(b) The Confidential Report shall be written annually in the month of April for the previous financial year. The procedure of initiating, reviewing and accepting of the report shall be such as is applicable in respect of the Government servants.

(4) Any adverse remark given in the Confidential Report shall be communicated to the concerned member of the service by the registrar, normally within 90 days of the acceptance of the Confidential Report. It will be open to the member of the service to whom advere remarks have been communicated to make a representation within 45 days of its receipt to the President to have the unfavourable remarks against him in the confidential report expunged. The decision of the President shall normally be final and shall normally be communicated within 6 months of the receipt of the representation :

Provided that instruction not covered under this rule shall be followed as per the General Book Circular No. Part-I/7.

39. **Conduct.**—The members of the service shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 subject to the following provisions :—

(1) The member of the service as prohibited from making adverse criticism of the Council.

(2) The Authorities competent to approve acceptance of gift for the purpose of Rule 19 and for acquiring or disposal of movable or immovable property under rule 19 of the said rules shall be as under :—

(a) In case of Class III . .Chief Executive Officer and IV.

(b) In case of Class II . .President. & I Officer.

40. **Service Conduct, Disciplinary Control and Appeal.**—(1) For the matters in connection with punishment, suspension and disciplinary action, in respect of the service shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

(2) **Disciplinary Authority.**—Subject to the provision of these Rules and Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rules, 1965 the disciplinary authority for imposing penalties shall be as under :—

| | | |
|---|---|---|
| (a) In respect of class III and IV Employees | Minor Punishment | Chief Executive Officer |
| (b) —do— | Minor Punishment | Council |
| (c) In respect of class I and II officers. | Minor/Major Punishment | Council |

(3) **Appeal.**—The employees shall have a right of appeal against the order passed by the disciplinary authority in accordance with the provisions of saection 48 of the Act.

41. **Application of Rules, Orders and Instructions.**—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of Madhya Pradesh Fundamental Rules, Financial Code and General Book Circulars in respect of service matters shall apply to the members of service as amended from time to time.

42. **Resignation and Termination.**—The members of the service appointed on temporary basis shall be allowed to resign from service or their services may be terminated on one month notice on either side or on payment of one month's pay alongwith allowances in lieu thereof. The permanent member of the service may resign from service on giving notice for the period of three months or in lieu thereof on payment of an amount equal to three months pay alongwith allowances or such amount for the period for which the notice falls short of.

43. **Delegation of Powers.**—the Council or President may by general or special order delegate its powers except the power of appointment under Rules 7 to the Registrar.

44. **Interpretation.**—If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

45. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or a bridge the power of the Council to deal with the case of any parson to whom these Rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

46. **Repeal and Saving.**—All rules and executive instructions corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken under the rules or executive instructions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

*(see rule 5)*

**Classification, scale of Pay and number of Posts included in the Service.**

| s. No. | Name of the post included in the Service | No. of posts | Classification | Scale of Pay |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Registrar | 1 | Class I | 3000—100—3500—125—4500, and after 5 years 3700—125—4700—150—5000. |
| 2 | Assistant.Registrar | 1 | Class II | 2000—60—2300—75—3200—100—3500. |
| 3 | Superintendent | 1 | Class III | 1600—50—2300—60—2700. |
| 4 | Assistant | 2 | Class III | 1400—40—1440—50—2340. |
| 5 | Accountant | 1 | Class III | 1200—30—1560—40—2040. |
| 6 | U.D.C. | 2 | Class III | 1150—30—1210—40—1450—50—1800. |
| 7 | Steno Typist | 1 | Class III | 950—25—1000—30—1210—40—1530. |
| | | | Class III | + Rs. 75/—special pay per month. |
| 8 | L.D.C. | 2 | Class III | 950—25—1000—30—1210—40—1530. |
| 9 | Driver | 1 | Class III | 950—25—1000—30—1210—40—1530. |
| 10 | Daftari | 1 | Class IV | 775—12—871—15—1036. + Rs. 20/—special pay per month |
| 11 | Peon | 4 | Class IV | 750—12—870—15—945. |
| 12 | Choukidar | 1 | Class IV | 750—12—870—15—945. |

SCHEDULE-II

*(see rule 6)*

| S. No. | Name of post included in the Service. | Total No. of duty posts. | Percentage of the number of duty posts to be filled in by | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Direct recruitment. | Promotion | Transfer |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | <u>Class- I</u> | | | | |
| | Registrar | 1 | 100% | . . | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Class- II | | | |
| | Assistant Registrar | 1 | . . | 100% |
| 3. | Class- III | | | |
| | (1) Superintendent | 1 | . . | 100% |
| | (2) Assistant | 2 | . . | 100% |
| | (3) Accountant | 1 | . . | 100% |
| | (4) Upper Division Clark. | 2 | . . | 100% |
| | (5) Steno Typist | 1 | 100% | . . |
| | (6) Lower Division Clerk. | 2 | 100% | . . |
| | (7) Driver | 1 | 100% | . . |
| | Class-IV | | | |
| | (1) Daftari | 1 | . . | 100% |
| | (2) Peon | 4 | 100% | . . |
| | (3) Choukidar | 1 | 100% | . . |

## SCHEDULE-III

*(see rule 8)*

| S. No. | Name of post included in the service | Minimum Age | Maximum Age | Educational qualification |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Class-I | | | |
| 1 | Registrar | 25 | 35 | Graduate with LL.B from any recognised University and 5 years Administrative Experience. |
| | Class-III | | | |
| 2 | Steno Typist | 18 | 30 | 1. Higher Secondary School Certificate Examination (10+2) or equivalent Examination recognised by Government.<br>2. Short hand & Typing Examination passed from M.P. Shorthand & Typing Examination Board or any other Government recognised Examination with Shorthand speed |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | of 60 woard M.P. |
| 3 | Lower Division Clerk | 18 | 30 | 1. Higher Secondary Examination (10+2) passed.<br>2. Hindi/English Typing Examination passed from .P. M. Shorthand & Typing Examination Board. |
| 4 | Driver, Peon/Chowkidar | 18 | 35 | Middle School Examination passed .Besides this for the post of driver possession of Light Motor Vehicle Driving License is Compulsory. |

SCHEDULE-IV

*(see rule 14)*

| S. No. | Name of post from which promotion is to be made | Name of Post to which Promotion is to be made | Desired experience | Constitution of promotion Committee |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Superintendent | Assistant Registrar | 5 years | 1. Joint Director,Indian System of Medicine & Homeopathy-Chairman.<br>2. Joint Director/Dy. Director Homeopathy-Member.<br>3. Registrar-Member. |
| 2 | Assistant | Superintendent | 5 years | , , |
| 3 | Lower Division Clerk/Accountant | Assistant | 5 years | , , |
| 4 | Lower Division Clerk | U.D.C./ Accountant | 5 years | , , |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

V. S. NIRANJAN, Dy. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 1996—पौष 6, शके 1918

## भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 4 (क)—कुछ नहीं

भाग 4 (ख)-कुछ नहीं

## भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

स्थानीय शासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1996

क्र. 121-अठारह-तीन-96-शुद्धि-पत्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 7-1-अठारह-तीन, दिनांक 31 मार्च 1995 जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 31 मार्च 1995 में हुआ है, के मुद्रण में कुछ अशुद्धियां होने के कारण इस अधिसूचना का शुद्धि-पत्र के रूप में पुनः प्रकाशन किया जा रहा है.

सुदेश कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 1995

क्र. एफ. 7-1-अठारह-तीन-95.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अचल संपत्तियों के अंतरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 है.

(2) ये नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956);

(2) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(3) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, धारा 5 के खण्ड (11) में यथा परिभाषित आयुक्त.

3. कोई भी अचल संपत्ति, जिससे आय प्राप्त होती हो या वह आय के योग्य हो, सार्वजनिक घोष विक्रय अथवा बंद लिफाफे में प्रस्थापना आमंत्रित कर, उच्चतम बोली लगाने वाले के सिवाय न तो बेची जाएगी और न अन्यथा हस्तांतरित की जाएगी:

परन्तु यदि नियम के मत में सार्वजनिक घोष विक्रय या बंद लिफाफे में प्रस्थापना आमंत्रित करना वांछनीय नहीं है, तब निगम, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, सार्वजनिक घोष विक्रय या बंद लिफाफे में प्रस्थापना आमंत्रित किए बिना ऐसे अंतरण कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि निगम, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी अचल संपत्ति को उच्चतम बोली लगाने वाले के अतिरिक्त अन्य को अंतरित कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि किसी भी ऐसे पट्टे और अंतरण का समुचित प्रीमियम, पट्टा स्वीकृत करते समय देय होगा तथा साथ ही वार्षिक किराया भी पट्टे की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान देय होगा.

4. जब कोई अन्तरण सार्वजनिक घोष विक्रय या बंद लिफाफे में प्रस्थापना आमंत्रित कर किया जाना हो, तब ऐसे घोष विक्रय या प्रस्थापना की प्राप्ति का समय, तारीख, स्थान व शर्तों की जानकारी, कम से कम 15 दिन पूर्व, एक या उससे अधिक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों तथा ऐसी अन्य रीति में, जो निगम विहित करे, व्यापक रूप से जनता को उपलब्ध कराई जाएगी.

5. घोष विक्रय का संचालन आयुक्त या ऐसे अधिकारी के, जिसे आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे, पर्यवेक्षण में किया जाएगा.

6. यथास्थिति, घोष विक्रय या प्रस्थापना किन्हीं भी अन्य शर्तों के अतिरिक्त जो निगम उचित समझे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

(1) प्रतिभूति निक्षेप की ऐसी राशि, जो निगम नियत करे, किन्तु ऐसी राशि अचल संपत्ति के अनुमानित मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी, यथास्थिति, प्रत्येक बोली लगाने वाले या प्रस्थापना करने वाले द्वारा नगद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा कोई भी व्यक्ति घोष विक्रय में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा और इसी प्रकार बिना प्रतिभूति निक्षेप के प्राप्त हुए प्रस्थापना विचार योग्य नहीं होंगे.

(2) उच्चतम बोली/प्रस्थापना धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होंगे.

(3) उपरोक्त शर्त (2) में उल्लिखित प्राधिकारी कोई उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होंगे.

(4) उच्चतम बोली बोलने/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा, यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी बोली/प्रस्थापना शर्त (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं, बोली/प्रस्थापना की शत-प्रतिशत राशि 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जाएगी. यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्रहित कर ली जाएगी.

(5) यथास्थिति, घोष विक्रय के समाप्त होने या प्रस्थापना किए जाने के तत्काल पश्चात् यथास्थिति प्रथम 2 उच्चतम बोली बोलने वालों/प्रस्थापना करने वालों की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी.

(6) जैसे ही घोष विक्रय/प्रस्थापना की पूरी राशि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है, शेष बचे एक बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जाएगी.

(7) यदि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले, जिसकी बोली/प्रस्थापना स्वीकृत किए गए हैं, द्वारा बोली/प्रस्थापना की राशि विहित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तब शर्त (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर बोली/प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि भी अभिग्रहित कर ली जाएगी.

(8) यदि शर्त (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम बोली या प्रस्थापना को स्वीकृत करने के

स्थान पर पुन:घोष विक्रय किय जाय या प्रस्थापना आमंत्रित की जाए, तब यथास्थिति, द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता या प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जाएगी और पुन: घोष विक्रय या प्रस्थापना आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी.

7. धारा 80 की उपधारा (5) के परन्तुक (2) के आशय के लिए "जिसका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो" विहित किया जाता है. निगम द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित करने की दशा में आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए निम्न जानकारी सहित प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा:—

(1) संपत्ति की प्रकृति अर्थात् भूमि, भवन, दुकान आदि.

(2) संपत्ति का क्षेत्रफल, उसके साइट-प्लान सहित.

(3) यदि निगम द्वारा संपत्ति अर्जित की हुई/खरीदी हुई है, तब वह उद्देश्य दर्शाया जाए, जिसके लिए संपत्ति का अर्जन किया गया/खरीदी गई.

(4) सिटी मास्टर प्लान में ऐसी भूमि/संपत्ति किस उद्देश्य से वर्णित है.

(5) वर्तमान में संपत्ति का किस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है.

(6) जिस व्यक्ति की बोली/प्रस्थापना स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है, वह किस उद्देश्य से संपत्ति का उपयोग करेगा.

(7) भवन/दुकान की दशा में, निर्माण की लागत मूल्य तथा निर्माण पूर्ण होने की तारीख.

(8) स्थानीय समाचार-पत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख तथा घोष विक्रय/प्रस्थापना प्राप्त करने की अंतिम तारीख.

(9) सार्वजनिक घोष विक्रय/बंद लिफाफे में प्रस्थापना के लिये नियत की गई सरकारी बोली/बाजार मूल्य.

(10) घोष विक्रय/प्रस्थापना की शर्तें.

(11) घोष विक्रय में भाग लेने वाले व्यक्तियों/प्रस्थापना करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या.

(12) प्रथम दो उच्चतम बोलीकर्ता/प्रस्थापना करने वालों के नाम तथा उनके द्वारा लगाई गई बोली/दिए गए प्रस्थापना की राशि.

8. निगम द्वारा निर्मित दुकानों में से 10 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये तथा 10 प्रतिशत दुकानें अन्य पिछड़े वर्गों, शिक्षित बेरोजगारों, विकलांगों, विधवाओं व परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनके आवंटन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. सी. रेजा, उपसचिव.**

---

## राजस्व विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1996

क्र. एफ. 1-43-92-सात-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कनिष्ठ (जूनियर) प्रशासकीय सेवा भरती नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में.—

(1) अनुसूची चार के कालम 2 में नायब तहसीलदार के सम्मुख कालम 5 के वर्तमान सरल क्रमांक 2 को विलोपित किया जाए.

(2) सरल क्रमांक 3 में दो संभागीय आयुक्त (बारी-बारी से) के स्थान पर एक संभागीय आयुक्त प्रति स्थापित किया जाए.

(3) सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्थान पर क्रमश: 2 एवं 3 प्रतिस्थापित किया जाए.

No. F. 1-43-92-VII-4.—In exercise of the powers conferred by the provise to Article 307 of the constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments relating to the Madhya Pradesh Junior Administration service recruitment Rules, 1980 namely:—

AMENDMENT

In the said rules.—

(1) In column 2 of Schedule IV, the member of the Departmental Promotion Committee as shown in column 5 in S. No. 2 against Naib Tehsildar may be omitted.

(2) In S. No. 3 in place a "Two Divisional Commissioners (to be taken inturn)" one Divisional Commissioner may be substituted.

(3) In place of S. No. 3 & 4 S. No. 2 & 3 may be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रभाकर बंसोड**, उपसचिव.

---

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 1996

क्र. एफ. 16-7-96-चि. शि.-पचपन-मेडि-2-संशोधन.— "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 28 जून 1996 भाग 4 (ग) में प्रकाशित मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की भरती और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियम, 1996 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:—

संशोधन

(1) पृष्ठ 69 भाग 4 (ग) के नीचे अंकित शब्द "प्रारूप नियम" विलोपित किया जाता है,

(2) पृष्ठ 73 नियम 15 के उप नियम (2) में अधीक्षक तथा सहायक के आगे शब्द "अधीक्षक" विलोपित किया जाता है.

अंग्रेजी अनुवाद में.—

(1) पृष्ठ 89 नियम 15 के उपनियम (2) में "Superintendent" and Assistant के आगे शब्द "Superintendent" विलोपित किया जाता है,

(2) पृष्ठ 92 नियम 40 के उपनियम (2) के (b) खण्ड में शब्द "Minor" के स्थान पर "Major" पढ़ा जावे,

(3) पृष्ठ 95 सूची 4 (रूल-14) में सूची के क्रमांक 3 में शब्द "Lower" के स्थान पर शब्द "Upper" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सी. राव, उपसचिव.

---

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1996.